अशासकीय पत्र संख्या–1/शा0/106/2018–1/487/2018
लखनऊः दिनांकः 28 फरवरी, 2019

आहरण एवं वितरण अधिकारी/
उपनिदेशक(पं0)
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–2019/360/33– 3–2019–100(14)/2018 दिनांक 25.02.2019 में वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 20000.00 लाख में से अनुदान सं0–14 में केन्द्रांश रू0 6880.2147 लाख व राज्यांश रू0 4586.81 लाख इस प्रकार कुल धनराशि **रू0 11467.0247 लाख (रू0 एक अरब चौदह करोड़ सरसठ लाख दो हजार चार सौ सत्तर मात्र)** की धनराशि उक्त शासनादेश दिनांक 25.02.2019 में निहित निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त की गयी है।

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि में से निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 के अशासकीय पत्र सं0–5/78/2019–आर0जी0एस0ए0/81(1)/2015 दिनांक 27.02.2019 के क्रमं में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अन्तर्गत अनुदान सं0–14 में केन्द्रांश रू0–4498.6322 लाख (रू0 चौवालीस करोड़ अट्ठानबे लाख तिरसठ हजार दो सौ बीस मात्र) व राज्यांश रू0–4586.81 लाख (रू0 पैंतालीस करोड़ छियासी लाख इक्यासी हजार मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रू0–9085.4422 लाख (नब्बे करोड़ पचासी लाख चौवालीस हजार दो सौ बीस) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित किया जाता है–

1– निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2018/बी–1–375/दस–2018–231/2018 दिनांक 30.03.2018, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2018/बी–1–438/दस–2018–231/2018 दिनांक 20.04.2018 तथा वित्त(आय–व्यय) अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–16/2018/बी–2–979/दस–2018– 244 /2018 दिनांक 01.09.2018 एवं इस सम्बन्ध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

3–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत प्राविधानित एवं आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा। अन्य किसी मद में व्यय किया जाना अनुमन्य न होगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

4–आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा। आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

5–आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व आपका होगा।

6–आवंटित की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

7–आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देशों/अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

8–उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान सं0–14 के लेखाशीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–0104–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आर0जी0एस0ए0)(के060/रा040–के0–रा0)–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

9–भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आर0जी0एस0ए0) की गाईडलाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से विजया बैंक, 1/33 ए, विजयखण्ड, गोमतीनगर में खोले गये खाता सं0–713401621000005, आई0एफ0एस0सी0 कोड–VIJB0007134 में जमा किया जायेगा।

10–शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–4/2018/आर0जी0–1021/दस/2018–मित0–1/ 2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

11–निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

12–आवंटित की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आपका होगा।

13–आवंटित धनराशि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने पर, उक्त व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों/भागों में उपलब्ध करायी जायेगी।

14–योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

15–स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

16–योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित अन्य शर्तों/उपबन्धों का समावेश आपके स्तर से किया जायेगा।

17–योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

2–यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2018/बी–1–375/दस–2018–231/2018 दिनांक 30.03.2018, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2018/बी–1–438/दस–2018–231/2018 दिनांक 20.04.2018 तथा वित्त(आय–व्यय) अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–16/2018/बी–2–979/दस–2018–244/2018 दिनांक 01.09.2018 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

3–उक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–यू.ओ.ई.–2–158/X–19 दिनांक 22.02.2019 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–142 पर अंकित है।

<u>संलग्न उपरोक्तानुसार।</u>

(मासूम अली सरवर)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

<u>संख्याः–1/शा0/106/1/2018 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासनके पत्र दिनांक 25.02.2019 के क्रम में।
2. विशेष वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
7. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज–21100।
8. उपनिदेशक (पं0), योजना प्रभारी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9. एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-28/02/2019

प्रेषण संख्या:- 1-sha-106-2018-1-487-2018
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-487-2018
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
04 - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0) (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	908544220 908544220	908544220 908544220
	योग	वर्तमान प्रगामी	908544220 908544220	908544220 908544220

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नब्बे करोड़ पंचासी लाख चौवालीस हजार दो सौ बीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नब्बे करोड़ पंचासी लाख चौवालीस हजार दो सौ बीस

22

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी